न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 06/2019

1– श्री देवकरण पुत्र श्री चतुर्भुज
2– श्री सांवरलाल पुत्र श्री देवकरण
3– रेखा पुत्री श्री देवकरण
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

..................अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

..........रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मदनसिंह रावत, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–23.10.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री देवकरण पुत्र श्री चतुर्भुज, श्री सांवरलाल पुत्र श्री देवकरण एवं रेखा पुत्री श्री देवकरण समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम मांगलियावास के आराजी खसरा नम्बर 190 व 1204/2579 क्रमशः रकबा 0.52 व 0.14 हैक्टर किस्म बा0 3 व बा0 2 भूमि पर अनाधिकृत रूप से बबूल के कांटे व पत्थर डालकर एवं पत्थर की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 149/2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 26.11.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमियों की बेदखली व शास्ति कायम कर मौके पर उपलब्ध पत्थरों की नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.11.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलांट्स को दिनांक 26.11.2018 को न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस बिना तामील करवाये ही बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं जबकि दिनांक 19.11.2018 को अपीलान्ट के पुत्र की शादी थी। परिवार के समस्त सदस्य शादी में उपस्थित थे एवं शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। तामील कुनिन्दा ने घर पर आये बिना एवं मकान पर नोटिस चस्पा किये बिना गवाह शिवकुमार से आपसी मन मुटाव के चलते शादी में खलल डालने की नीयत से चस्पानगी की झूंठी रिपोर्ट तैयार कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उसके बयान लिये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित भूमि चौसाला जमाबन्दी व वर्किंग जमाबन्दी में खातेदारी में दर्ज होकर वर्तमान आधार जमाबन्दी में गै0मु0 आबादी दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी सिवायचक भूमि नहीं है। उनका कथन है कि ग्राम मांगलियावास के गोपाल बाबा रामदेव का परिवार अपीलान्ट से रंजिश व जलन रखते हैं एवं इनका भाई उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीसांगन में रीडर के पद पर एवं पंचायत समिति पीसांगन में पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत होने से पटवारी हल्का से झूंठी रिपोर्ट करवाते रहते हैं एवं धमकी देते हैं। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स का आराजी चौसाला खसरा नंबर 512 व 527 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 786 व 770 जिसके हाल आधार खसरा नंबर 1204/2579, 1204, 1205, 1206 व 1209 पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं बाड़ा बना हुआ है जिसमें खेती बाड़ी का सामान, चारा, रोड़ी और चारों तरफ पत्थरों दीवार बना रखी है एवं उसमें ट्रेक्टर खड़ा रहता है। कब्जे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मांगलियावास द्वारा दिनांक 16.06.1996 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। उनका आगे कथन है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 पुराना 527 रकबा 00–17–00 बीघा का तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 11.09.1975 को अपीलान्ट देवकरण पुत्र श्री चतुर्भुज, जाति जाट निवासी ग्राम मांगलियावास तहसील व जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन किया गया था एवं अपीलान्ट आवंटन के समय से ही विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तामील कुनिन्दा व पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपीय आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का ग्राम मांगलियावास के विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 190 व 1204/2579 क्रमशः रकबा 0.52 व 0.14 हैक्टर किस्म बा0 3 व बा0 2 पर कांटे, पत्थर डालकर व पत्थरों की पक्की दीवार बनाकर कब्जा व अतिक्रमण किया गया है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 786 पुराना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

527 रकबा 00–17–00 बीघा जिसके हाल आधार खसरा संख्या 1204/2579 हैं, का तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 11.09.1975 को अपीलान्ट देवकरण पुत्र श्री चतुर्भुज, जाति जाट निवासी ग्राम मांगलियावास तहसील व जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.11.2018 विवादित खसरा संख्या 1204/2579 की हद तक निरस्त किया जाता है एवं अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि चूंकि विवादित आराजी खसरा संख्या 1204/2579 अपीलान्ट की आवंटनशुदा भूमि है, अतः उक्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख एवं तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.11.07 16:07:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: